<u>प्रतिवेद्य</u>

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>आपराधिक अपील सं. 87/2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका(अप०) सं. 6990/2018 से उत्पन्न)

प्रमोद कुमार .... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति, आर. भानुमति</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपराधिक संशोधन सं. 511/ 2006 के आक्षेपित आदेश दिनांकित 19. 02. 2018 में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर

दिया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत उनको कारावास की सजा प्रदान की गई।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है : –

अपीलकर्ता–पदम कुमार तब से इंदिरा नगर डाकघर, लखनऊ में पोस्टमैन के रूप में काम कर रहे थे। 09. 04. 1992 को, PW–3–डा. एम. एल. वार्सनी, प्रोफेसर, कृषि संस्थान, नैनी, इलाहाबाद ने उक्त संस्थान के उप–डाकघर से शिकायतकर्ता– डॉ. केबी वार्ष्णेय (PW–1) को एक पंजीकृत लिफाफा नंबर–0095 भेजा था। उक्त लिफाफे में प्रत्येक रु.5,000/– के मूल्य के चार इंदिरा विकास पत्र थे, जो कुल रु. 20,000/– था। लिफाफा PW–1–डॉ. केबी वार्ष्णेय तक नहीं पहुंचा; इसलिए, 27. 04. 1992 को, PW–3–डॉ. एम.एल. वार्ष्णेय ने पोस्ट मास्टर, डाकघर, कृषि संस्थान, नैनी, इलाहाबाद के समक्ष शिकायत की। PW–1–शिकायतकर्ता–डॉ. केबी वार्ष्णेय ने इंदिरा नगर डाकघर से भी पूछताछ की। 29. 04. 1992 को, PW–1 ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक को भी एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि लिफाफा रजिस्ट्री नंबर 0095 प्राप्त नहीं हुआ है। 14. 05. 1992 को, वरिष्ठ अधीक्षक, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, लखनऊ से जानकारी प्राप्त हुई कि " मोहन" नाम के एक व्यक्ति को 13. 04. 1992 को पूर्वोक्त रजिस्ट्री प्राप्त हुई है। फिर, PW–1 और उनके बेटे देवेश मोहन–PW–2 इंदिरा नगर डाकघर गए और हस्ताक्षर देखा जहां इसे 'डी' के रूप में लिखा गया है। मोहन" शिकायतकर्ता के बेटे का नाम देवेश मोहन (PW–2) भी है। हस्ताक्षर दिखाए जाने पर, PW–2 ने इस बात से इनकार किया कि प्रश्नतः हस्ताक्षर उसके हैं। पी.एस. गाजीपुर, लखनऊ

में आई .पी.सी धारा 420,467 और 468 के तहत अपराध सं. 394/1992 में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच की गई। बाद में, मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई

4. जांच अधिकारी ने विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। जांच अधिकारी ने PW–2–देवेश मोहन के नमूना हस्ताक्षर के साथ विवादित हस्ताक्षर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लखनऊ भेजा था। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लखनऊ द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जिस व्यक्ति ने नमूना हस्ताक्षर किए हैं, उसने डिलीवरी स्लिप–प्रर्दश–पी 4 में विवादित हस्ताक्षर भी किए हैं। PW–2 "S–1 से S–6" के नमूना हस्ताक्षर के साथ विवादित हस्ताक्षर " Q–1" को निजी हस्ताक्षर विशेषज्ञ श्रीमती खान–PW–5 को भेजा गया था अपने साक्ष्य में, PW–5 ने कहा है कि PW–2 "एस–1 से एस–6" के नमूना हस्ताक्षर के साथ डिलीवरी स्लिप प्रर्दश–पी–4 में विवादित हस्ताक्षर " क्यू–1" की तुलना करने पर, वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विवादित हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर से भिन्न है और PW–5 ने अपनी रिपोर्ट–एक्स–पी 9 जारी की थी फिर भी एक अन्य हस्तलेख विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता ने नमूना हस्ताक्षर के संदर्भ में विवादित हस्ताक्षर की भी जांच की थी। सिया राम गुप्ता ने कहा था कि डिलीवरी स्लिप में विवादित हस्ताक्षर PW–2–देवेश मोहन द्वारा नहीं किया गया है। मुकदमे के समय, हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता का निधन हो गया और उनके बेटे रंजीत कुमार की पीडब्ल्यू–8 के रूप में परीक्षण किया। चूंकि PW–8–रंजीत कुमार अपने पिता–सिया राम गुप्ता के हाथ से लिखने से परिचित थे, इसलिए हस्तलिखित विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता की रिपोर्ट को उनके

बेटे PW–8 के माध्यम से चिह्नित किया गया है, जांच से पता चला कि अपीलकर्ता ने डिलीवरी स्लिप–प्रर्दश–पी 4 पर हस्ताक्षर जाली थे। जांच पूरी होने पर, अपीलार्थी अभियुक्त के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420, 467 और 468 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

5. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने PW–1– डा. के.बी.वार्ष्णेय, PW–2–देवेश मोहन, PW–3–डा. एम.एल,वार्ष्णेय हस्तलेख विशेषज्ञ–PW–5–MY खान, PW–8–रणजीत कुमार, एक अन्य हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ–सिया राम गुप्ता के पुत्र और अन्य गवाहों का परीक्षण किया गया है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया कि तीन हस्तलेख विशेषज्ञ अभिलेख मे हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार, देवेश मोहन–PW–2 द्वारा विवादित हस्ताक्षर किए गए हैं। विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि अन्य दो विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि परिदान पर्ची में विवादित हस्ताक्षर " Q–1" नमूना हस्ताक्षर "S–1 से S–6" से मेल नहीं खाते हैं विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के डाकिया होने के कारण रजिस्ट्री के परिदान का कार्य किया गया था और परिदान पर्ची उसके पास रखी गई थी इसलिए, निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी ने परिदान पर्ची में मोहन "डी" के हस्ताक्षर किए थे। ट्रायल कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता अक्सर रजिस्ट्री और पत्र लेकर शिकायतकर्ता–PW–1 के घर का दौरा करता था और इस प्रकार, वह PW–2–देवेश मोहन के हस्ताक्षर से अच्छी तरह से अवगत था। PW 1 से 3 के साक्ष्य और

हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने जालसाजी का अपराध किया था और उसे धारा 467 और 468 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था और उसे चार साल और तीन साल क्रमशः के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दोनों वाक्यों को समवर्ती चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।

6. सजा को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने अपीलीय अदालत – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष अपील दायर की है। अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जोड़े गए सबूतों के उचित विश्लेषण पर, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 467 और 468 के तहत सही ठहराया है।

7. आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के समक्ष फौजदारी निगरानी सं. 511/2006 दायर किया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करते हुए साक्ष्य जोड़ दिए हैं कि "डी" के हस्ताक्षर. मोहन 'परिदान पर्ची में और PW–2– देवेश मोहन के नमूना हस्ताक्षर अलग–अलग हैं। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसने लिफाफा दिया था और ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के लिए यह बताना है कि विवादित हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किसने किये थे और अपीलकर्ता से इस तरह के किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, अपीलकर्ता के खिलाफ

यह अनुमान लगाया गया है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उसी का ज्ञान है। पुनरीक्षण को तदनुसार खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की गई।

8. आक्षेपित आदेश पर तर्क देते हुए, अपीलकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा ने कहा कि बिना यह सिद्ध किये हुए कि प्रर्दश पी–4 परिदान पर्ची में अपीलकर्ता ने जाली हस्ताक्षर बनाये थे, अतः आईपीसी की धारा 467 और 468 के तहत अपीलकर्ता की सजा बरकरार नहीं रह सकती है। विद्वत अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने सरकारी हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट जो अपीलकर्ता के पक्ष में थी पर विचारण न करके गलती की है. यह प्रस्तुत किया गया था कि हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता की जांच के अभाव में, राय देने वाले सिया राम गुप्ता की रिपोर्ट को उनके बेटे–रंजीत कुमार–PW–8 को जांच करके साबित नहीं किया जा सकता है और निचली अदालतों द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ–PW–5–एम.वाई खान और एक अन्य हस्तलेख विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता की राय पर अवलंम्ब नहीं ले सकती है। यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रोक लगाई कि यह अपीलकर्ता के लिए यह साबित करने के लिए है कि किसने Ex.–P4–वितरण पर्ची में हस्ताक्षर किए थे और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ अनुमान लगाने और दोषी ठहराए जाने त्रुटि की थी। और अपीलार्थी की दोष सिद्धी पोषणीय नही है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी–राज्य के विद्वत अधिवक्ता श्री आदर्श उपाध्याय, ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जोड़े गए सबूतों के उचित मूल्यांकन पर, निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को न्यायोचित रूप से दोषी ठहराया। यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन न केवल हस्तलेख विशेषज्ञों की राय पर अवलंम्ब लिया है, बल्कि शिकायतकर्ता–डॉ केबी वार्ष्णेय(PW–1) के बेटे PW–2–दिनेश मोहन जिन्होंने प्रदर्श –पी 4 परिदान पर्ची में अपना हस्ताक्षर करने से इनकार किया है और अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को अच्छी तरह से स्थापित किया है।

10. हमने ध्यान से प्रस्तुतियाँ पर विचार किया है और अभिलेख में आक्षेपित आदेश और अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया है।

11. डॉ. एमएल वार्ष्णेय (PW–3) के साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर, अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि 09. 04. 1992 को, PW–3 ने PW–1–Dr के. बी. वार्ष्णेय, इंदिरा नगर, लखनऊ को एक पंजीकृत लिफाफा नंबर 0095 भेजा था। जब PW–1 को उक्त लिफाफा नहीं मिला, 27. 04. 1992 को, PW–3 ने संबंधित सब–पोस्ट ऑफिस, नैनी, इलाहाबाद को इसकी शिकायत की। PW–1– डा. के.बी.वार्ष्णेय ने 29. 04. 1992 को वरिष्ठ अधीक्षक, डाक विभाग, लखनऊ को भी एक शिकायत दर्ज की। जांच के बाद, यह पता चला कि 14. 05. 1992 को, मोहन नाम के एक व्यक्ति को 13. 04. 1992 को पूर्वोक्त रजिस्ट्री प्राप्त हुई है।

12. अपने साक्ष्य में, शिकायतकर्ता–PW–2–देवेश कुमार के बेटे ने कहा है कि उक्त रजिस्ट्री उनके घर पर 13. 04. 1992 को प्राप्त हुई थी और उक्त तिथि को वह घर पर मौजूद नहीं था क्योंकि वह सुबह 10: 00 बजे कोचिंग गया था और लगभग 04: 00 बजे वापस घर आया था। परिदान पर्ची–प्रदर्श–P4 दिखाए जाने पर, PW–2 ने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि यह उनके हस्ताक्षर नही है। PW–2 ने आगे कहा कि अपीलकर्ता रजिस्ट्री लेकर आया था और उसकी मां ने उन्हें प्राप्त किया था। यह बताया जाना चाहिए कि परिदान पर्ची पर न तो "देवेश मोहन" का नाम और न ही " PW–2 की मां" का नाम लिखा गया था; लेकिन कुछ अन्य बात लिखी गई थी PW–2–परिदान पर्ची के सबूत Ex.–P4 में अपने हस्ताक्षर से इनकार करते हैं अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले साक्ष्य का एक मूल्यवान भाग है। निचली अदालतों ने समवर्ती निष्कर्षों को सही ढंग से दर्ज किया कि PW–2 के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि PW–2–देवेश मोहन ने Ex.–P4–परिदान पर्ची में हस्ताक्षर नहीं किए थे।

13. अभियोजन पक्ष PW–2–देवेश मोहन के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए केवल हस्तलेख विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। बेशक, सरकारी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने नमूना हस्ताक्षर "S–1 से S–6" लिखा है उसने Ex.–P4–डिलीवरी स्लिप में विवादित हस्ताक्षर " Q–1" किया था। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लखनऊ की रिपोर्ट अपीलकर्ता के पक्ष में है। लेकिन जैसा कि निचली अदालतों ने

सही कहा है कि चूंकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी , लखनऊ के हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई थी, इसलिए उक्त रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखना उचित है कि अपीलकर्ता–अभियुक्तों ने अपने बचाव की पुष्टि के लिए सरकारी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ को भी नहीं बुलाया था।

14. जैसा कि हो सकता है, हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ एम. वाई. खान (PW–5) ने अपनी रिपोर्ट–एक्स–पी 9 में कहा है कि जिस व्यक्ति ने नमूना हस्ताक्षर लिखे थे "एस–1 से एस–6" ने Ex. P4–परिदान पर्ची में विवादित हस्ताक्षर " Q–1" नहीं लिखा था और यह कि PW–2–देवेश मोहन के हस्ताक्षर से अलग है। PW–5 ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि विवादित हस्ताक्षर PW–2–देवेश मोहन के नमूना हस्ताक्षर के साथ कैसे मेल नहीं खाते हैं। इसी तरह, अपनी रिपोर्ट में, हस्तलेख विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता ने यह भी कहा था कि Ex.–P4–परिदान पर्ची में विवादित हस्ताक्षर PW–2–देवेश मोहन द्वारा नहीं लिखे गए हैं। जब मुकदमा चलाया गया, तब तक हस्तलेख विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता का निधन हो गया और उनका बेटा–रंजीत कुमार (PW–8) जो सिया राम गुप्ता के हस्तलिपि से परिचित थे और रिपोर्ट को चिह्नित करने के लिए उपस्थित था।

15. अपीलकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि के बिना, सजा को आधार बनाने के लिए लिखावट विशेषज्ञों की राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता ने **एस. गोपाल रेड्डी बनाम एपी राज्य (1996) 4 एस.सी.सी 596 पर** अवलंम्ब लिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न के रूप में आयोजित किया: –

> **"28.** इस प्रकार, PW–3 के सबूत निश्चित नहीं हैं और इसे विवादित पत्रों के साथ अपीलकर्ता को जोड़ने के लिए एक **क्लिनिक प्रकृति** का नहीं कहा जा सकता है। एक विशेषज्ञ का साक्ष्य बल्कि एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और अदालतें आमतौर पर इसे 'निर्णायक' सबूत की पेशकश के रूप में नहीं मानती हैं और इसलिए स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि प्राप्त किए बिना उसी पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। मगन बिहारी लाल(1977) 2 एससीसी 210, में हस्तलेख विशेषज्ञ के साक्ष्य से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया:
>
> > "…. हमें लगता है कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय के सबूत की क्षमता के आधार पर अपीलकर्ता की दोषी करना बेहद खतरनाक होगा। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि विशेषज्ञ की राय हमेशा बड़ी सावधानी के साथ ली जानी चाहिए और शायद कोई भी हस्तलेख विशेषज्ञ की राय को अधिक सावधानी के

साथ प्राप्त करना चाहिए। पूर्ववर्ती प्राधिकारी का एक **प्रचुरता** है जो यह मानता है कि पर्याप्त पुष्टि के बिना विशेषज्ञ की राय पर एक सजा को आधार बनाना असुरक्षित है। इस नियम पर सार्वभौमिक रूप से कार्रवाई की गई है और यह लगभग कानून का नियम बन गया है। यह इस न्यायालय द्वारा राम चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश ए.आई.आर. 1957 एससी 381 में आयोजित किया गया था कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय को सजा के लिए पर्याप्त आधार के रूप में मानना असुरक्षित है, लेकिन आंतरिक और बाहरी साक्ष्य के आधार पर अन्य मदों द्वारा समर्थित होने पर इस पर अवलम्ब लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने कि ईश्वरी प्रसाद मिश्रा बनाम मोहम्मद. इसा AIR 1963 SC 1728 को चिन्हित करते हुए कहा कि हस्तलेख विशेषज्ञ साक्ष्य कभी निर्णायक नहीं हो सकते क्योंकि यह अन्ततः, राय का साक्ष्य है, और इस दृष्टिकोण को शशि कुमार बनर्जी बनाम सुबोध कुमार बैनर्जी ए.आई.आर. 1964 एस. सी. 529 दोहराया गया था, जहां इस न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि विशेषज्ञ के साक्ष्य के रूप में हस्तलिपि का साक्ष्य शायद ही कभी हो सकता है, यदि कभी, सारवान साक्ष्य का स्थान ले और ऐसे साक्ष्य पर कार्य करने से पूर्व यह विचार करना वांछनीय होगा कि क्या यह स्पष्ट

प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा या पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा पुष्टि किया गया है इस न्यायालय के पास फिर से हस्तलेख के संबंध में फखरुद्दीन बनाम एम.पी. राज्य ए.आई.आर 1967 एस.सी 1326 में विशेषज्ञ की राय के स्पष्ट मूल्य पर विचार करने का अवसर था। राज्य और इनके द्वारा एक सावधानी का नोट यह चिन्हित करते हुए दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि केवल एक हस्तलेख विशेषज्ञ के साक्ष्य पर दोषी पाया जाना जोखिम भरा होगा और इस तरह के साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले, अदालत को हमेशा यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह अन्य सबूतों, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूतों द्वारा पुष्टि की गई है।

16. बेशक, केवल हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ के साक्ष्य पर सजा को आधार बनाना सुरक्षित नहीं है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने मगन बिहारी लाल बनाम पंजाब राज्य (1977) 2 एस.सी.सी. 210 में अभिनिर्धारित किया है कि "विशेषज्ञ राय हमेशा बड़ी सावधानी से ली जानी चाहिए..... पर्याप्त पुष्टि के बिना विशेषज्ञ की राय पर दोषी बनाना असुरक्षित है इस नियम पर सार्वभौमिक रूप से कार्रवाई की गई है और यह विधि का नियम बन गया है।

17. यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय पर कार्रवाई करने से पहले, विवेक की आवश्यकता है कि

अदालत को यह देखना चाहिए कि इस तरह के साक्ष्य अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है। मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में(1980) 1 एससीसी 704, में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न के रूप में आयोजित किया: –

> 4 .... सत्य, यह अवसर स्वरूप बहुत उच्च् प्राधिकारी के लिए कहा जाता है कि यह हस्तलेख विशेषज्ञ के तर्क के आधार पर दोषी सिद्ध करना खतरनाक होगा। किन्तु विशेषज्ञ, हस्तलेख विशेषज्ञ, किसी अन्य प्रकार के विशेषज्ञ की राय स्वीकार करना खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि यह विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया है बल्कि सामान्यतः अविश्वनीय साक्ष्य होने के कारण से है–विश्वसनीयता या अविश्वसनीयता की गुणवत्ता जो विशेषज्ञ अन्य सभी साक्षियों के साथ शेयर करता है –किन्तु चूंकि सभी मानव निर्णय पतनशील है और विशेषज्ञ अवलोकन के कुछ दोष, परिसर की कुछ गलती या निष्कर्ष की ईमानदार गलती के कारण गलती कर सकता है विज्ञान जितना अधिक विकसित और अधिक पूर्ण होता है, एक गलत राय की संभावना कम होती है और यदि विज्ञान कम विकसित और अपूर्ण है तो उसका विलोम होता है। उंगली के निशान की पहचान का विज्ञान पूर्णता के पास पहुंच गया है और एक गलत राय का जोखिम व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है। दूसरी ओर, लिखावट की पहचान का विज्ञान लगभग इतना सही नहीं है और इसलिए जोखिम अधिक है। लेकिन यह एक हस्तलेख विशेषज्ञ की राय को एक अपरिवर्तनीय नियम के

रूप में संदेह करने और प्रत्येक मामले में पर्याप्त पुष्टि पर जोर देने से दूर है, यद्यपि वह राय कारणों मे भी सबसे अच्छा कारण से समर्थित हो। एक विशेषज्ञ के लिए प्रारंभिक संदेह के साथ उसकी राय को देखना और उसे एक हीन गवाह के रूप में मानना शायद ही उचित है। उनकी राय को उनके द्वारा दिए गए कारणों की स्वीकार्यता द्वारा परीक्षण किया जाना है। एक विशेषज्ञ सग्रंह करता है और निर्णय नहीं लेता है। उसका कर्तव्य "अपने निष्कर्ष की यथार्थता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड के साथ न्यायाधीश को प्रस्तुत करना है ताकि साक्ष्य में साबित हुए तथ्यों के लिए इन साक्ष्यों से सिद्ध तथ्यों के मानदंडों के लागू होने से न्यायाधीश को अपना स्वतंत्र निर्णय देने में समर्थ बनाया जा सके (लार्ड प्रेसिडेन्ट कोपर के द्वारा डेविस बनाम ईंडुरघ मजिस्ट्रेट, 1953 एस. सी. 34 में प्रो. क्रास द्वारा अपने साक्ष्य में उद्धुत किया गया)

5 .....

6. साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 द्वारा विशेषज्ञ परिसाक्ष्य को सुसंगत बनाया गया है और जहां न्यायालय को लिखावट की पहचान के बारे में एक बिन्दु पर राय बनानी है, वहां प्रश्न में "विशेषकर कुशल" व्यक्ति की हस्तलिपि की पहचान के बारे में राय स्पष्ट रूप से सुसंगत तथ्य बनाई गई है.....

.....इसलिए,

हस्तलेख विशेषज्ञ की राय पर विचार करने से पहले सम्पुष्टी पर जोर नहीं दिया जा सकता है और कोई प्रारंभिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर, एक अदालत को अलग–अलग डिग्री के राज्याभिषेक की आवश्यकता हो सकती है। कोई कठिन और तेज़ नियम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी एकमात्र आधार पर बिना किसी कारण के समर्थित विशेषज्ञ की राय की अस्वीकृति को सही नहीं ठहराएगा कि यह पुष्टि नहीं है। हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय से निपटने के दौरान एक अदालत का दृष्टिकोण सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, राय के कारणों की जांच करना चाहिए, अन्य सभी प्रासंगिक सबूतों पर विचार करना चाहिए और अंत में इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेना चाहिए। '

18. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हस्तलिखित विशेनज्ञों–एम. वाई. खान (PW–5) और सिया राम गुप्ता ने यह मत व्यक्त किया है कि परिदान पर्ची–एक्स–पी 4 में विवादित हस्ताक्षर –"स–1" नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता–"S–1 से S–6" हैंड–राइटिंग विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने नमूना हस्ताक्षर लिखे थे, उसने Ex.–P4 में विवादित हस्ताक्षर 'Q–1' नहीं लिखा था। जैसा कि नीचे की अदालतों द्वारा बताया गया है, हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ के साक्ष्य PW–2–देवेश मोहन के साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष

द्वारा दिए गए साक्ष्य हैं जिन्होंने एक्स–पी 4 में अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है। अपीलकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता यह तर्क देने में सही नहीं है कि निचली अदालतों ने केवल हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञों की राय पर सजा को आधार बनाया है। पीडब्ल्यू–2–देवेश मोहन के साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए हस्तलेख विशेषज्ञों का प्रमाण केवल साक्ष्य का एक आधारभूत भाग है।

19. PW 1 से 3 और अन्य साक्ष्यों के साक्ष्य के आलोक में, उच्च न्यायालय ने सही पाया कि शिकायतकर्ता–PW–1 के स्थान पर पंजीकृत लिफाफा देने वाले अपीलकर्ता को यह बताने के लिए बाध्य किया गया है कि कथित हस्ताक्षर Ex.–P4–पिरदान पर्ची में किसने किए हैं । अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, अपीलकर्ता के खिलाफ एक अनुमान लगाया जाना है जिसने लिफाफा दिया था क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है और उसी को उसका ज्ञान है। PW–3–आर के साक्ष्य से। एमएल वार्ष्णेय, अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि लिफाफे में प्रत्येक रु. 5,000/– के मूल्य के चार मूल्यवान सुरक्षा इंदिरा विकास पत्र थे, जो कुल रु. 20, 000/– था। अभियोजन पक्ष द्वारा जोड़े गए सबूतों की सराहना करने पर, निचली अदालतों ने समवर्ती निष्कर्षों को सही ढंग से दर्ज किया कि अपीलकर्ता ने PW–2–देवेश मोहन के हस्ताक्षर को जाली कर दिया है और धारा 467 और 468 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा सबूतों पर आधारित है और सजा किसी भी दुर्बलता वारंट हस्तक्षेप से ग्रस्त नहीं है।

20. आईपीसी की धारा 467 के तहत सजा के लिए अपीलकर्ता को चार साल के कारावास और आईपीसी की धारा 468 के तहत अपीलकर्ता को 500/– रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना वर्ष 1992 की थी। जैसा कि अभिरक्षा प्रमाण पत्र से देखा गया है, अपीलकर्ता 04. 07. 2018 से यानी अठारह महीने से अधिक की अवधि से हिरासत में है। यह देखते हुए कि घटना वर्ष 1992 की थी और मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, अपीलार्थी पर लगाए गए कारावास की सजा पहले व्यतीत की गई सजा से घटा देना है।

21. परिणाम में, धारा 467 और 468 आईपीसी के तहत अपीलार्थी–अभियुक्त की सजा की पुष्टि की जाती है और उस पर लगाए गए कारावास की सजा पहले से की गई सजा से कम कर दी गई है। आपराधिक संशोधन सं. 511/ 2006 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायिक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 19. 02. 2018 को लागू किया गया, निर्णय तदनुसार संशोधित किया गया है और अपील आंशिक रूप से अनुमत है। अपीलार्थी–अभियुक्त को तब तक रिहा करने का आदेश दिया जाता है जब तक कि उसकी उपस्थिति किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो।

.....

[न्यायमूर्ति आर. भानुमति]

.....

[न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना]

नई दिल्ली;

14 जनवरी 2020,